गोरखनाथ (भा०प्र०से०)
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

बिहार सरकार

आयुक्त कार्यालय,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया
फोन नं0- 06454-243199 (O)
241899 (F)
ईमेल आई0डी0-divcom-purnea-bih@nic.in

पत्रांक.................................... दिनांक...............................

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियॉ/कटिहार/अररिया/किशनगंज।

विषयः– **मनरेगा योजनाओं के अन्तर्गत चल रही बड़ी योजनाओं का त्रिसदस्यीय समिति गठित कर जॉच करने एवं प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक कार्रवाई करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि कई उप विकास आयुक्त के कार्यालयों का निरीक्षण करने के दौरान यह पाया गया कि मनरेगा योजनाओं के अन्तर्गत चलने वाली योजनाओं के कार्यान्वयन का निरीक्षण/जॉच/पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण समय–समय पर वरीय पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। यह भी पाया गया है कि जिले के उप विकास आयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित जॉच के प्रतिशत के अनुरूप भी क्षेत्र में कार्यान्वित योजनाओं की जॉच नहीं कर रहे हैं। इसके कारण मनरेगा योजनाओं में अनियमितताएँ दृष्टिगोचर हो रही है। जन शिकायत एवं लोक शिकायत निवारण के अन्तर्गत भी इसके तहत शिकायत एवं परिवाद प्राप्त हो रहे हैं जिसमें एक मामले में त्रिसदस्यीय समिति से जॉच करने के पश्चात यह भी पाया गया कि वस्तुतः योजनाएँ स्थल पर प्राकलन के अनुरूप कार्यान्वित ही नहीं हुए हैं तथा उसमें राशि का भी भुगतान किया जा चुका है। जिससे सरकारी राशि का निष्फल व्यय होने का भी स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसे वित्तीय अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाये जाने की आवश्यकता है तथा दोषी पदाधिकारी, कर्मी और व्यक्तियों को चिन्हित कर दण्डात्मक कार्रवाई भी किया जाना अपेक्षित है।

2. उपर्युक्त वर्णित स्थिति में इस मामले में सम्यक कार्रवाई हेतु निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैं:–

i. अपने जिले के सभी प्रखंडों में मनरेगा के तहत कार्यान्वित हो रही कम से कम 20 बड़ी योजनाओं को चिन्हित कर उसकी सूची बना ली जाय।

ii. उक्त चिन्हित योजनाओं की जॉच त्रिस्तरीय समिति गठित कर कराई जाय जिसमें कोई भी सदस्य मनरेगा के कार्यान्वयन से संबंधित पदाधिकारी शामिल नहीं रहेंगे। उक्त समिति जॉच के दिन ही अपना प्रतिवेदन समर्पित करेगें।

iii. जॉच के पश्चात क्रमबद्धरूप से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर एक पक्ष के अन्तर्गत सरकारी नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप अंतिम कार्रवाई की जाय।

iv. इस मामले में जो भी पदाधिकारी एवं व्यक्ति वित्तीय दुर्विनियोग के लिए दोषी पाये जाते हैं, तो उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय तथा आवश्यकतानुसार आपराधिक मुकदमा भी दर्ज की जाय।

3. अनुरोध है कि उपर्युक्त दिये गये निदेशों का पालन दृढ़तापूर्वक की जाय एवं कृत कार्रवाई से पाक्षिक रूप से इस कार्यालय को भी अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन
ह0/-
आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

ज्ञापांक.....178..... दिनांक.....28/07/2022

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त, पूर्णियॉ/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[signature] 28/7/22
आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।